न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :—2015/00097

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

तेजसिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिख निवासी रामीवाला

..........प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः दिनांकः— 18.01.23

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 24 बीएलडी के मु0नं0 198/13 के किला नं0 19 ता 25 की 06.00 बीघा भूमि के खातेदार तेजसिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिख निवासी रामीवाला द्वारा अपने धारित भूमि के किला नं0 19 ता 25 की 06.00 बीघा भूमि में अवैध जिप्सम का खनन करते पाया गया है। अतः अवैध खनन करने के कारण खातेदार की खातेदारी निरस्त हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

सर्वप्रथम वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला व रजि0 डाक नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादी स्वंय न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर लिखित जवाब दिया कि प्रार्थी की चक 24 बीएलडी क मु0नं0 198/13 के किला नं0 19 ता 25 की 06.00 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि है। मैं प्रार्थी महाराष्ट्र में ड्राइवरी करता हूँ। मेरे परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है। मुझ प्रार्थी ने कभी कोई गैर कृषि कार्य नहीं किया है ना ही कभी अवैध जिप्सम खनन किया है। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2020/128 दिनांक 06.03.2020 अनुसार भू.अ. निरीक्षक दन्तौर व पटवार हल्का बल्लर के चक 24 बीएलडी के मु0नं0 198/13 के किला नं0 19 ता 25 की 06.00 बीघा कमाण्ड भूमि का तेजसिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिख निवासी रासीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ खातेदार दर्ज है। मौकानुसार उक्त रकबा खाली है व अवैध खनन के पुराने खड्डे आज भी मौजूद है। खातेदार तेजसिंह मौके पर निवास नहीं करता है। बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज व मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट 06.03.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है। यह तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 06.03.2020 से प्रतीत होता है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। जो पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट

की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि में जिप्सम है तथा जिप्सम माफिया खातेदार से शह से अथवा चौरीछुपे खनन कर रहे है। खातेदार का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरुर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकार कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार इस भूमि के किला नं0 19 ता 25 पर भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

अतः प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 24 बीएलडी मु0नं0 198/13 के किला नं0 19 ता 25 की 06.00 बीघा भूमि की उक्त भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)